शासकीय वी.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग के डॉ श्री राम कुंजाम ने रिकांबिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विषय पर व्याख्यान दिया जिसमें शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव के वनस्पति शास्त्र के 42 विद्यार्थियों ने लाभ प्राप्त किया।

कार्यालय–प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छ.ग.)
Web site- www.digvijaycollege.com Email: principal@digvijaycollege.com ☎: & Fax 07744-225036

पत्र कमांक 1918/2022 राजनांदगांव दिनांक 10/02/22

आमंत्रण पत्र

प्रति,

डॉ. श्रीराम कुंजाम
सहा.प्राध्या. वनस्पति
शास. व्ही.वाई.टी. विज्ञान महावि. दुर्ग

विषय :– अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण पत्र ।

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विभाग द्वारा दिनांक 18.2.22 एवं 19.2.22 समय 12.00 बजे को शीर्षक 1. IPR, 2. Recombinent-DNA technology पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजन में आप विषय विशेषज्ञ के रूप में आंमत्रित है।

कृपया निर्धारित तिथि को विषय विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान हेतु महाविद्यालय में उपस्थित होने की सहमति प्रदान करने का कष्ट करें।

विभागध्यक्ष
वनस्पतिशास्त्र-विभाग
शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय,
राजनांदगांव

(डॉ.के.एल.टाण्डेकर)
प्राचार्य,
शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय,
राजनांदगांव

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग)
Web site- www.gdcr.ac.in Email: principal@digvijaycollege.com

राजनांदगांव दिनांक 21/02/2022

//प्रेस विज्ञप्ति//

"बौद्धिक सम्पदा अधिकार सृजनशीलता व मौलिकता का अधिकार है" – डॉ. श्रीराम कुंजाम

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव के वनस्पतिशास्त्र विभाग में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.के.एल. टांडेकर के मार्गदर्शन में तथा विभागाध्यक्ष डॉ. अनिता महिश्वर के नेतृत्व में व्याख्यान का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.के.एल. टांडेकर ने स्वागत उद्‌बोधन में कहा कि बौद्धिक संपदा का क्षेत्र व्यापक है तथा आज के परिपेक्ष्य में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की जानकारी इन सभी को होनी चाहिए।

इस व्याख्यान के विषय विशेषज्ञ शासकीय व्ही.वाय टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग के प्राध्यापक डॉ. श्रीराम कुंजाम ने कहा कि बुद्धिमता से उपजी कोई भी नवीन सृजनात्मक व मौलिक साहित्य, कलात्मक कार्य, प्रतीक चिन्ह, डिजाइन आदि बौद्धिक सम्पदा होती है। इस बौद्धिक सम्पदा के सरंक्षण हेतु विश्व स्तर पर विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (विपो) कार्यरत है व साथ ही साथ भारत में पेटेंट एक्ट लागू है जो बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के लिए अधिकार देते है। आगे इन्होने बताया कि पेटेंट क्या होते है व पेटेंट कराने की प्रक्रिया कैसी होती है और बताया कि पेटेंट करने के लिए नवीन खोज की औद्योगिक अनुप्रायोगिकता होनी चाहिए। डॉ. कुंजाम ने कहा कि कॉपीराइट किसी भी मौलिक क्रियेशन के लिए प्राप्त होती है जो कि उसे न्यायिक सुरक्षा प्रदान करती है। आगे उन्होने बताया कि ट्रेडमार्क विशिष्ठ प्रकार के प्रतीक चिन्ह होते है जो कि किसी वाणिज्यिक वस्तु व सेवा के लिए किसी कंपनी द्वारा पंजीकृत कराये जाते है जो दूसरे कंपनी द्वारा प्रयोग नहीं किये जा सकते है। ट्रेडमार्क के अंतर्गत लेटर्स, साइन, सिम्बॉल, लोगो, सर्टिफिकेशन मार्कस सेवा मार्कस आदि आते है। डॉ. कुंजाम ने बताया कि ट्रेड सिक्रेटस तथा औद्योगिक डिजाइन क्या होते है। उन्होने भारत के विभिन्न राज्यों व शहरों के भौगोलिक उपदर्शन जैसे नागपुरी संतरा, आगरा के पेठा, बनारसी साड़ी, दार्जलिंग की चाय, छत्तीसगढ़ बस्तर की ठोकरा कला, काष्ठकला आदि के बारे में विस्तार से बताया।

इस कार्यक्रम का सफल संचालन दिग्विजय महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. त्रिलोक कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अतिथि व्याख्याता, स्नातकोत्तर के छात्र–छात्राएं वे विभाग के समस्त प्राध्यापक उपस्थित रहे।